

2021/12

उपखण्ड अधिकारी एवं उपजिला मजिस्ट्रेट, छबड़ा जिला-बारां (राज.)

प्रार्थना पत्र सं.	धारा अंतर्गत	ग्राम	तहसील
3/21	136 GRAC	हजिजपुरा	इकडा
वादी	वाद शीर्षक	प्रतिवादी	
शिवनारायण	बनाम	राज0 सरकार	

वकील :- राजेश जोषा एडवो.

आदेश पत्रक

वकील :-

दिनांक	कार्यवाही एवं आदेश	विविध संदर्भ
--------	--------------------	--------------

2/21

अभिभाषक प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल आर एक्ट विरुद्ध अप्रार्थीगण के न्यायालय में पेश किया गया। रिपोर्ट सरिस्ता का अवलोकन किया गया प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जावे। अप्रार्थीगण गण को जर्ज सम्मन तलव किया जाकर पत्रावली दिनांक 12/3/2021 को पेश हो।

17/3/21

पत्रावली पेश हुई। तद्वतीवहार से रिपोर्ट। जवाब प्राप्त नहीं हुआ। पुनः तद्वतीवहार इसका को लिखा जावे। रिपोर्ट ली जावे। पत्रावली वापसे रिपोर्ट। जवाब दिनांक 15/5/21 को पेश हो।

5/5/21

जेरोन रेडमण  
आज पीठासीन अधिकारी के अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत् स्थिति में दिनांक 8/6/21 को पेश हो।  
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी  
छबड़ा (बारां)

8/6/21

कारोना संक्रमण  
आज पीठासीन अधिकारी के अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत् स्थिति में दिनांक 12/7/21 को पेश हो।  
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी  
छबड़ा (बारां)

12/7/21

आज पीठासीन अधिकारी के अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत् स्थिति में दिनांक 17/8/21 को पेश हो।  
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी  
छबड़ा (बारां)

17<sup>08</sup>/<sub>21</sub>

पत्रावली कोविड 19 के कारण पूर्ववत स्थिति के अज पेश हुई। तहसीलदार से रिपोर्ट / जांचक प्राप्त नहीं हुआ। पुनः लिखा जाने। पत्रावली वाले TDR रिपोर्ट दिनांक 22/9/21 को पेश हो।

*M*

29/9/21

पत्रावली प्रशासन गोव के सँग अभियान 2021 के अज पत्रावली पर पेश हुई। प्राची द्वारा प्राचीना पत्र भू शालक अधिनियम 1956 के धारा 186 के तहत इस न्यायालय में पेश किया गया था जिसमें प्राची का नाम प्रभुलाल पुत्र अमरलाल के हवाले पर प्रभुलाल पुत्र जगन्नाथ किया जाने का निवेदन किया जिसकी रिपोर्ट तहसीलदार इवडा से प्रशासन गोव के सँग अभियान पत्रावली पर ली गई।

तहसीलदार इवडा ने सम्बन्धित पटवारी व भू अधिकारी निरीक्षक से भूताविक रिकॉर्ड रिपोर्ट चाही गई। जिसमें पटवारी हल्का व गडर जोन रिपोर्ट अनुसार ग्राम इकोलपुरा के सर्वांक 13 दिनांक 31/7/1968 से 28.10.108 तक 15 दिनांक भूमि प्रभुलाल पुत्र अमरलाल प्राची नाम के नाम दर्ज रिकॉर्ड है जो वत अक्ट 31.7.1968 को ही अक्ट अक्ट से प्रभुलाल पुत्र अमरलाल के नाम अक्ट भी गई है। भूमि अक्ट अक्ट के उतकाल में प्रभुलाल पुत्र अमरलाल दर्ज है अतः इसमें नाम प्राची का शुद्ध किया जाना उचित नहीं होगा।

भूताविक पटवारी हल्का पत्रावली भू अधिकारी निरीक्षक एवं तहसीलदार इवडा की रिपोर्ट के आधार पर प्रभुलाल में प्राची का नाम प्रभुलाल पुत्र अमरलाल के हवाले पर प्रभुलाल पुत्र जगन्नाथ शुद्ध किया जाना उचित नहीं है। प्रमाण में अन्य कोई बर्तनाही अपेक्षित नहीं है। से कार्यवाही इसी स्तर पर रोक की जाती है। पत्रावली प्रभुलाल पुत्र अमरलाल पुत्र इवडा दायित्व दफ्तर हो।

*M*